

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, नया रायपुर (छ.ग.)

(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)



दूरभाष / फ़ैक्स: 07712263234
ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/ 11 / D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 02/01/2018

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 20.12.2018 के निर्णयानुसार - निम्नलिखित अनुचित साधन प्रकरण रेगुलेशन 10 के कंडिका 6 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें "Not allowed to appear in the entire examination of that year (Cancellation of examination) as well as in any examination conducted by the university in the next year." से दंडित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
15010809	एम.बी.बी.एस.अंतिम भाग-एक, सितं. 2018 (Community Medicine-I)	शिखर चाबा	सी.एम.मेडिकल कालेज, कचांदुर, दुर्ग	शासकीय वी.वाई. टी.महाविद्यालय, दुर्ग

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 12 / D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 02/01/2018

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों को द्वारा प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा/अकादमिक शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।


कुलसचिव